फारम सं0-563

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

सुदामा वर्मा, पिता-स्व0 रामखेलावन राम, ग्राम-पाण्डेय टोला खिरगाँव, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-खिरगाँव, थाना नं0-145, खाता संख्या-77, प्लॉट संख्या-1227, 1228, रकवा-02डी0, 1.79डी0 कुल रकवा-3.79 डी0 भूमि (1)राधा कुमारी, पति-विकास कुमार (2)विकास कुमार, पिता-प्रदीप कुमार, ग्राम-चन्द्रबंशी मुहल्ला, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 169/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता राधा कुमारी वगै0 एवं विक्रेता सुदामा वर्मा पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 30.81 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की एवं झमन जोल्हा वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 39/XVII पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता सुदामा वर्मा का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2021/289351 दिनांक-14.09.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2021/235236 दिनांक-05.10.2021 और क्रेता राधा कुमारी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमांण-पत्र संख्या JHRC/2021/88094 दिनांक-03.04.2021 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	JHCC/2016/838974 दिनांक–08.01.2017 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जॉंच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–खिरगाँव, थाना नं0–145, खाता संख्या–77, प्लॉट संख्या–1227, 1228, रकवा–02डी0, 1.79डी0 कुल रकवा–3.79 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.03.31 12:59:40 +05:30
Location: 192.168.100.2